पत्र संख्या–15/बि0स0से0–03–04/2017 सा0प्र0....4940..../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

एम0एस0अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

प्रधान सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 25-4-17

विषयः– स्थानांतरित सहायकों को विरमित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 65 दिनांक 16.02.2017 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय सेवा के 04 (चार) सहायकों का स्थानांतरण पदस्थापन किया गया था। उक्त आदेश के क्रमांक (2) द्वारा श्री संजीत कुमार, सहायक, जल संसाधन विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग में एवं क्रमांक (3) द्वारा श्री संतोष प्रकाश, सहायक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग में स्थानांतरण/ पदस्थापन किया गया था। परंतु उक्त दोनों सहायकों द्वारा अभी तक सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान नही दिया गया है, इससे विभाग के कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ स्थानांतरित सहायकों को दिनांक 26.04.2017 तक निश्चित रूप से विरमित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। दिनांक 26.04.2017 तक विरमित नही किये जाने की स्थिति में उक्त दोनों स्थानांतरित सहायकों को दिनांक 27.04.2017 से स्वतः विरमित समझा जायेगा तथा स्थानांतरित सहायकों का अगले माह का वेतन नवपदस्थापित विभाग से ही भुगतेय होगा।

विश्वासभाजन

25/4/17

(एम0एस0अंसारी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–15/बि0स0से–03–04/2017 सा0प्र0....4940..../, पटना–15, दिनांक 25/4/17

प्रतिलिपिः– श्री संजीत कुमार, सहायक, जल संसाधन विभाग/श्री संतोष प्रकाश, सहायक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आप लोगो को निदेश दिया जाता है कि दिनांक 24.04.2017 तक संबंधित विभाग द्वारा विरमित नही किये जाने की

स्थिति में दिनांक 25.04.2017 से स्वतः विरमित होकर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान सुनिश्चित करें।

25/4/17

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–15/बि0स0से–03–04/2017 सा0प्र0 4940 **/, पटना–15, दिनांक** 25/4/17

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, पटना/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–04), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/4/17

सरकार के अवर सचिव।